न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 132 / 2024

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पदमराज चितारा पुत्र जवरीलाल जाति जीनगर निवासी सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0		1. इन्द्रादेवी पुत्री वजाराम जाति बावरी 2. कुकीदेवी पुत्री वजाराम जाति बावरी जरिये नाबालिग कुदरती वलियां पितादेवी 3. धन्नाराम पुत्र वजाराम जाति बावरी सिसरवादा तहसील सोजत 4. प्रकाश चन्द पुत्र वजाराम जाति बावरी 5. पिस्तादेवी पत्नी वजाराम जाति बावरी, 6. मोतीराम पुत्र वजाराम जाति बावरी 7. सुकनराज पुत्र वजाराम जाति बावरी निवासीगण सिसरवादा तहसील सोजत जिला पाली 8. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान 9. उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय सोजत

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

<u>उपस्थितिः</u>—

1. श्री लक्ष्मण मेघवाल, अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत प्रतिवादी उप0

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक — 24/10/2024

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सिसरवादा के खसरा नम्बर 924/922 हैक्टर, की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में दिनांक 01.08.2024 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। प्रकरण में दिनांक 22.08.2024 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने कमांक/राजस्व /1574 दिनांक 18.10.2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी व प्रतिवादी तहसीलदार सोजत को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रमाणित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24.09.2024

उपखण्ड अधिकारी

को वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

:- आदेश :-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव, मय नजरी नक्शा दिनांक 24.09.2024 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सिसरवादा के खसरा नम्बर 934/922 रकबा 1.2300 हैक्टर, की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	पदमराज चितारा पुत्र जवरीलाल जाति जीनगर निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली	924/1	0.30	बा0अ0	
		01	0.30		
2.	पिस्तादेवी पत्नी वजाराम 1/7, धन्नाराम 1/7, प्रकाशचन्द्र 1/7 मोतीराम 1/7, सुकनराज 1/7 पिता वजाराम इन्द्रा देवी 1/7, कुकी पुत्री वजाराम 1/7 जरिये नाबालिग कुदंरती वलिया श्रीमति पिस्तादेवी जाति बावरी सा0 देह खातेदार	924/922	0.9300	बा0अ0	
		01	0.9300		

तहसीलदार सोजत उक्तांनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

यह निर्णय आज दिनांक 24/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगाराम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण:

1. पदमराज चितारा पुत्र जवरीलाल जाति जीनगर निवासी सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राज0

बनाम

प्रतिवादीगण:

1. इन्द्रादेवी पुत्री वजाराम जाति बावरी
2. कुकीदेवी पुत्री वजाराम जाति बावरी जरिये नाबालिग कुदरती वलियां पितादेवी
3. धन्नाराम पुत्र वजाराम जाति बावरी सिसरवादा तहसील सोजत
4. प्रकाश चन्द पुत्र वजाराम जाति बावरी
5. पिस्तादेवी पत्नी वजाराम जाति बावरी,
6. मोतीराम पुत्र वजाराम जाति बावरी
7. सुकनराज पुत्र वजाराम जाति बावरी निवासीगण सिसरवादा तहसील सोजत जिला पाली
8. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत सिटी जिला पाली राजस्थान
9. उप पंजीयन अधिकारी उप पंजीयन कार्यालय सोजत

राजस्व वाद 132 / 2024

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :–

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी श्री लक्ष्मण मेघवाल अधिवक्ता वादी तथा तहसीलदार सोजत पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सिसरवादा के खसरा नम्बर 934 / 922 रकबा 1.2300 हैक्टर, की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का वंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	पदमराज चितारा पुत्र जवरीलाल जाति जीनगर निवासी सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली	924 / 1	0.30	बा0अ0	
		01	0.30		
2.	पिस्तादेवी पत्नी वजाराम 1/7, धन्नाराम 1/7, प्रकाशचन्द्र 1/7 मोतीराम 1/7, सुकनराज 1/7 पिता वजाराम इन्द्रा देवी 1/7, कुकी पुत्री वजाराम 1/7 जरिये नाबालिग कुदरती वलिया श्रीमति पिस्तादेवी जाति बावरी सा0 देह खातेदार	924 / 922	0.9300	बा0अ0	
		01	0.9300		

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला पाली

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

मीजान – मुबलिग .– बाबत ––

खर्चा इस मुकदद्मे के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24/10/2024 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मुतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मददई	रूपया	न.पै.	मुददायला	रूपया	न.पै.

उपखण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)